



# मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2016

विज्ञापन क्रमांक 05/परीक्षा/2016/ 14.06.2016  
शासन के विभिन्न विभाग, मध्य प्रदेश शासन

प्रारम्भिक परीक्षा तिथि  
20.08.2016 तथा 21.08.2016

प्रारम्भिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन  
आवेदन करने की अंतिम तिथि  
20.07.2016

## महत्वपूर्ण

- 1- आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जायेंगे. आवेदन पत्र दिनांक 20.06.2016 (दोपहर 12:00 बजे) से 20.07.2016 (रात्रि 12:00 बजे) तक [www.mppscdemo.in](http://www.mppscdemo.in), [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) तथा [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com) पर भरे जा सकते हैं।
- 2- आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदनपत्रों में 30.06.2016 से 22.07.2016 तक त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटिसुधार शुल्क देय होगा।
- 3- ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गयी श्रेणी/ वर्ग (अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)/ लिंग (महिला/पुरुष)/ शासकीय सेवक/ निःशक्तजन) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त आवेदन सरसरी तौर पर अमान्य किए जाएंगे तथा आयोग द्वारा इस सन्दर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा। मध्यप्रदेश शासन के शासकीय सेवकों/ निगम मण्डल कर्मियों / स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों को देय आयु सीमा में छूट अभ्यर्थियों को तभी देय होगी यदि वे ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि अथवा उसके पूर्व से साक्षात्कार दिवस तक सतत रूप से मध्यप्रदेश शासन की सेवा में हों। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद यदि साक्षात्कार दिवस के पूर्व त्यागपत्र/ नौकरी से हटाये जाने अथवा अन्य किसी कारण से वह मध्य प्रदेश शासन की सेवा में नहीं रहते हैं तो उन्हें शासकीय सेवकों को देय आयु सीमा में छूट का लाभ देय नहीं होगा।
- 4- इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा दिनांक 20.08.2016 तथा 21.08.2016 को दो सत्रों में (प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक तथा दोपहर पश्चात 3:00 बजे से 5:00 बजे तक) निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 29.07.2016 से दिनांक 18.08.2016 तक [www.mppscdemo.in](http://www.mppscdemo.in), [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) तथा [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com) पर उपलब्ध रहेंगे।
- 5- विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनायें, प्रारम्भिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट [www.mppscdemo.in](http://www.mppscdemo.in), [www.mppsc.nic.in](http://www.mppsc.nic.in) तथा [www.mppsc.com](http://www.mppsc.com) एवं रोजगार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा। विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनायें अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिये गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर आवश्यकता होने पर E-mail तथा SMS Alert प्रेषित किए जा सकेंगे। अतः आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते।
- 6- आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आये और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा।

विज्ञापन का प्रकाशन "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र के आगामी अंक में किया जायेगा।



एक

भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अंन्य श्रेणियों के आवेदकों से राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2016, के अंतर्गत निम्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। विभिन्न वर्गों हेतु उल्लेखित पदों की संख्या विभागों द्वारा प्रेषित मांगपत्रों के अनुसार है :-

क्र.	विषय	रिक्त पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या				रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी निःशक्त अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या		
		UR	SC	ST	OBC	कुल	UR	SC	ST	OBC	अ.बा.	द.बा.	श्र.बा.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>सहायक यंत्री (सिविल)</b>													
1	नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग	39	13	16	11	79	13	4	5	4	2	1	2
2	लोक निर्माण विभाग	21	6	8	6	41	7	2	3	2	1	0	1
3	जल संसाधन विभाग	29	9	12	8	58	10	3	4	3	1	0	0
4	लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग	15	4	6	5	30	5	1	2	2	1	0	0
5	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	18	5	6	5	34	6	2	2	2	2	0	0
		122	37	48	35	242	41	12	16	13	7	1	3
<b>सहायक यंत्री (विद्युत)</b>													
6	जल संसाधन विभाग	3	1	1	1	6	1	0	0	0	0	0	0
<b>सहायक यंत्री (यांत्रिकी)</b>													
7	लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग	8	2	3	2	15	3	1	1	1	0	0	0
8	जल संसाधन विभाग	7	2	3	2	14	2	1	1	1	1	0	0
		15	4	6	4	29	5	2	2	2	1	0	0
<b>सहायक कृषि यंत्री</b>													
9	किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
		140	42	55	41	278	47	14	18	15	8	1	3

दो - पद का विवरण

- (1) (अ) पद का नाम : सहायक यंत्री (सिविल)  
Assistant Engineer (Civil)
- (ब) विभाग का नाम : मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग  
मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग  
मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग  
मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग  
मध्य प्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
- (स) अर्हता : अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता  
अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल अभियांत्रिकी में उपाधि या उसके समतुल्य अर्हता।

- समतुल्य अर्हता:-  
**Associate Member of Institution of Engineers (AMIE)**
- (द) कर्तव्य : मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग  
 अभियांत्रिकी सेवा संबंधी कार्य  
 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग विभाग  
 अभियांत्रिकी, कार्यालयीन एवं मैदानी कार्य।  
 मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग  
 लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सड़क, पुल, भवन के निर्माण, संधारण, रूपांकन आदि।  
 मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग  
 निर्धारित प्रावधानों एवं नियमों तथा आवश्यकतानुसार विभिन्न पेयजल प्रदाय एवं जल-मल निकासी योजनाओं आदि के सर्वेक्षण, आकल्पन, रूपांकन, क्रियान्वयन तथा संचालन संधारण संबंधी सभी प्रकार के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे।  
 मध्य प्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
 ग्रामीण क्षेत्र में सिविल इंजीनियरिंग संरचनाओं का निर्माण, संधारण एवं पर्यवेक्षण ।
- (2) (अ) पद का नाम : सहायक यंत्री (विद्युत)  
**Assistant Engineer (Electrical)**
- (ब) विभाग का नाम : मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग
- (स) अर्हता : अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता  
 अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विद्युत अभियांत्रिकी में उपाधि या उसके समतुल्य अर्हता।  
 समतुल्य अर्हता:-  
**Associate Member of Institution of Engineers (AMIE)**
- (द) कर्तव्य : मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग  
 अभियांत्रिकी, कार्यालयीन एवं मैदानी कार्य
- (3) (अ) पद का नाम : सहायक यंत्री (यान्त्रिकी)  
**Assistant Engineer (Mechanical)**
- (ब) विभाग का नाम : मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग  
 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग
- (स) अर्हता : अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता  
 अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यान्त्रिकी अभियांत्रिकी में उपाधि या उसके समतुल्य अर्हता।  
 समतुल्य अर्हता:-  
**Associate Member of Institution of Engineers (AMIE)**
- (द) कर्तव्य : मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग  
 निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पेयजल प्रदाय एवं जलमल निकासी योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न विद्युत यान्त्रिकी कार्यों (नलकूप खनन सहित) यथा संरक्षण, आकल्पन, रूपांकन, क्रियान्वयन तथा संचालन, संधारण संबंधी सभी प्रकार के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे।  
 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग  
 अभियांत्रिकी, कार्यालयीन एवं मैदानी कार्य
- (4) (अ) पद का नाम : सहायक कृषि यंत्री  
**Assistant Agriculture Engineer**
- (ब) विभाग का नाम : किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
- (स) अर्हता : अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता



अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता कृषि इंजीनियरिंग स्नातक में कम से कम द्वितीय श्रेणी

(द) कर्तव्य : जिले में कृषि यंत्रीकरण से संबन्धित गतिविधियों का संचालन एवं कृषि यंत्रों का प्रदर्शन एवं उनकी जानकारी से कृषकों को प्रशिक्षित करना।

तीन पदों की श्रेणी एवं वेतनमान

(अ) श्रेणी : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी

(ब) पद स्थिति : अस्थायी

(स) वेतनमान : रुपये 15600-39100 + 5400 ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

चार अर्हता के संदर्भ में विशेष अनुदेश

उक्त पदों हेतु संबन्धित अभियांत्रिकी विषय की स्नातक परीक्षा के अंतिम सेमिस्टर में अध्ययनरत तथा अंतिम सेमिस्टर की परीक्षा में शामिल होने वाले आवेदक भी आवेदन कर सकेंगे किन्तु ऐसे आवेदकों को राज्य अभियांत्रिकी सेवा (मुख्य) परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। राज्य अभियांत्रिकी सेवा (मुख्य) परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण न कर सकने वाले आवेदक मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।

पांच निःशक्तजन चिह्नांकन के संदर्भ में जानकारी

उक्त पदों को निःशक्तजन हेतु निम्नानुसार चिह्नांकित किया गया है :-

क्र.	पद का नाम	विभाग का नाम	चिह्नांकित निःशक्त श्रेणी
1.	सहायक यंत्री (सिविल)	मध्य प्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग	अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित
		मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग	अस्थिबाधित, श्रवणबाधित
		मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग	अस्थिबाधित, श्रवणबाधित
		मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग	अस्थिबाधित, श्रवणबाधित
2.	सहायक यंत्री (विद्युत)	मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग	अस्थिबाधित, श्रवणबाधित
3.	सहायक यंत्री (यांत्रिकी)	मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग	अस्थिबाधित
		मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग	अस्थिबाधित
4.	सहायक कृषि यंत्री	मध्य प्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग	अस्थिबाधित
<b>टीपः उक्त पदों हेतु चिह्नांकित श्रेणी के न्यूनतम 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्त आवेदक आरक्षण तथा छूट के पात्र है।</b>			

- छः
- शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। किन्तु पदों की संख्या में वृद्धि केवल प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम के पूर्व तक ही की जा सकेगी। पदों में वृद्धि की स्थिति में कोई अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जायेंगे तथा सभी पदों हेतु केवल वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने प्रारम्भिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा किया है।
  - चयनित आवेदकों की नियुक्ति दो वर्ष की परीक्षा पर की जायेगी।
  - किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिये आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।**
  - समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में है अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, निःशक्तजन तथा भूतपूर्व सैनिक आवेदकों को देय आरक्षण एवं आयु सीमा की छूट केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होंगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के आवेदक अनारक्षित मान्य होंगे। जो पद उक्त वर्गों के लिये आरक्षित नहीं है उन पर इन वर्गों के आवेदक अनारक्षित के रूप में विचारित किये जायेंगे। मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर में आने वाले आवेदकों को आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य लाभ देय नहीं होंगे।

